प्रतिलिपिः— न्यायालय—प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान—जगदलपुर के द्वारा न्यायालय— (सुश्री सीमा कवंर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बस्तर स्थान—जगदलपुर, थाना—कोड़ेनार के अपराध क्रमांक—87/2022, पक्षकार — छ0ग0 राज्य विरूद्ध— बादल नाग, अंतर्गत धारा—25,आर्म्स एक्ट में आवेदक/ अभियुक्त बादल नाग पिता— अनिल नाग, उम्र— 20 वर्ष, जाति— सतनामी, निवासी— दन्तेश्वरी वार्ड, सक्सेस कान्वेंट स्कूल के पास जगदलुपर, थाना—बोधघाट, जिला—बस्तर छ0ग0 की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र क्रमांक—303/2022, सी0आई0 एस0 नंबर—313/2022 में पारित आदेश दिनांक— 10.10.2022 .

————0000——————

10.10.2022 पीठासीन न्यायाधीश महोदय के अवकाश पर होने से कार्यविभाजन आदेशानुसार यह जमानत आवेदन मेरे समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त बादल नाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रसूल अहमद उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री अखिलेश्वर दास, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आज केस डायरी की प्रतीक्षा एवं जमानत आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।

थाना—कोड़ेनार के अपराध क्रमांक—87/2022, पक्षकार —बादल नाग, अंतर्गत धारा—25 आर्म्स एक्ट की केस डायरी प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से दिनांक—07.10.2022 को आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—439 द0प्र0सं0 के तहत् पेश कर जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि उक्त आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश में लंबित नहीं है और ना ही निराकृत हुआ है। उपरोक्त जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के माता—श्रीमती मधू नाग पति—अनिल नाग द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र के संबंध में निवेदन किया गया है कि थाना—कोड़ेनार के अपराध क्रमांक— 87/2022, अंतर्गत धारा—25 आर्म्स एक्ट के अपराध के तहत् अपराध पंजीबद्ध करते हुये उसे दिनांक—29.09.2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय— (सुश्री सीमा कंवर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बस्तर स्थान—जगदलपुर के समक्ष पेश किया

गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उसकी ओर से प्रस्तुत धारा–437 द0प्र0सं0 का आवेदन निरस्त करते हुये उसे दिनांक–29.09.2022 जिला जेल दाखिल किया गया है तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।

आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसे प्रकरण में रंजिश वश मिथ्या फसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त घटना दिनांक को अपने मित्र राजेन्द्र लहरे के साथ मोटर सायकल वाहन से दंतेवाड़ा दन्तेश्वरी माई के दर्शन करने जा रहा था तथा चाय पीने कोड़ेनार ढाबा में रूका था उसी दौरान ढाबा में खड़ी मोटर सायकल से सागर नामक व्यक्ति मोटर सायकल का पेट्रोल पाईप कटिंग कर पेट्रोल निकालने का प्रयास कर रहा था जिसे मोटर सायकिल स्वामी द्वारा पकड़ा गया था आवेदक/अभियुक्त द्वारा मोटर सायकिल स्वामी से बच्चा है छोड़ दो कहे जाने पर उक्त मोटर सायकल स्वामी द्वारा उसके विरूद्ध मिथ्या आधारों पर उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाया गया है। आवेदक/अभियुक्त अपने परिवार का एकमात्र कमाउ सदस्य है उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण हेतु परेशानी उत्पन्न हो जायेगी। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन करने को तत्पर है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम बार अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त बस्तर जिला का स्थाई निवासी हैं उसके फरार होने की संभावना नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक राज्य की ओर से श्री अखिलेश्वर दास अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा घटना दिनांक को आवेदक/अभियुक्त को मुखबीर सूचना के आधार पर थाना कोड़ेनार के द्वारा आवेदक/ अभियुक्त को मौके पर अपने हाथ में दो धारी गुप्तीनुमा चाकू से लोगों को आतंकित कर भय का माहोल उत्पन्न करते हुये पाया जाकर घेराबंदी कर उसे पकड़कर उसके कब्जे से जप्ती पत्रक में उल्लेखित एक लोहे का चाकू दोधारी गुप्ती नुमा फल की लम्बाई 25से.मी., चौड़ाई 2 से.मी. बेठ की लम्बाई–12 से.मी. जप्त किये जाने का कथन कर, जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

थाना कोड़ेनार के अपराध क्रमांक– 87/2022 पक्षकार– बादल नाग, अंतर्गत धारा– 25 आर्म्स एक्ट की केस डायरी के परिशीलन से यह पाया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये आवेदक/अभियुक्त का प्रथम रिमाण्ड दिनांक–13.10.2022 तक न्यायालय– (सुश्री सीमा कंवर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बस्तर स्थान–जगदलपुर से प्राप्त किया गया है।

थाना–कोड़ेनार के अपराध क्रमांक–87/2022,पक्षकार– राज्य विरूद्ध–बादल नाग, अंतर्गत धारा–25 आर्म्स एक्ट के परिशीलन से यह पाया गया कि थाना–कोड़ेनार के द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना कार्य जारी है। आवेदक/अभियुक्त के मेमोरण्डम के आधार पर गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक में उल्लेखित सामग्री जप्त की गई है।

प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन होकर रिमाण्ड स्तर पर है तथा वर्तमान स्तर में समाज में बढ़ते अपराध को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा– 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र निराकृत।

आदेश की प्रति न्यायालय– (सुश्री सीमा कवंर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बस्तर स्थान जगदलपुर की ओर सूचनार्थ तथा संबंधित थाना प्रभारी को आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न रखे जाने के निर्देश सहित, केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि के भीतर अभिलेखागार जमा किया जावे।

सही/–
(डी0आर0देवागंन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
कृते–सत्र न्यायाधीश,
बस्तर स्थान–जगदलपुर.